



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 7/2020
GST Circular No. 4/2020

2018/AC-II/1/57

16th January, 2020

**General Managers
All Zonal Railways/Production Units**


Sub :- Display of GST numbers at each State/UT's registered Office.

As per rule 18 of CGST Rules, 2017 the Certificate of GST Registration should be prominently displayed at the place of business. The sign boards containing, Name, GSTIN and address should also be displayed at the place of business. If any, person contravenes the provision of Rule 18 , it is liable for penalty as provided u/s 125 of the CGST Act, 2017.

All the Principal Railways in States/UTs are requested to:-

- Display Indian Railway's credentials (if not already done); and
- Display IRFC's credentials (wherever GST Registrations have been taken);

The above may kindly be noted for ensuring GST Compliances. This issues with the approval of competent authority.


(V.Prakash)
Joint Director/Accounts,
Railway Board

Copy to:-

- PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
- All EDs of the ED level Empowered Committee in Railway Board;
- All Directors of GST Cell, Railway Board.
- Managing Director, IRFC

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 7/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 4/2020

सं. 2018/एसी-II/1/57

16 जनवरी, 2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

विषय :- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के पंजीकृत कार्यालय पर जीएसटी संख्याएं प्रदर्शित

करना ।

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 18 के अनुसार व्यापार के स्थान पर जीएसटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रमुखता से प्रदर्शित होना चाहिए। संकेत पट्ट जिसमें नाम, जीएसटीआईएन तथा पता लिखा होगा, को भी व्यापार के स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। यदि कोई व्यक्ति, नियम 18 के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के खंड 125 में दी गई शास्ति के लिए दायी होगा ।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सभी प्रधान रेलों से निवेदन है कि वे

- क) भारतीय रेल का प्रत्यय पत्र प्रदर्शित करें (यदि पहले से नहीं किया है); और
- ख) आईआरएफसी का प्रत्यय पत्र प्रदर्शित करें (जहां भी जीएसटी पंजीकरण लिया गया है);

उपरोक्त सर्वसंबंधित कृपया नोट करें ताकि जीएसटी की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।



(वी. प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा,
रेलवे बोर्ड